केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/डायरे./एसईएंडटी/एआई/2021 **दिनांक: 29.07.2021**

परिपत्र संख्या: अकेड-56/2021

सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रमुख

विषय: एआई फॉर ऑल - सीबीएसई और इंटेल इंडिया की एक संयुक्त पहल

विश्व भर की सरकारें अपने नागरिकों, उद्योगों और समग्र समाजों पर स्थायी, समावेशी और सकारात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्य से व्यापक राष्ट्रीय एआई रणनीति बनाने पर कार्य कर रही हैं। एक कुशल और सक्षम कार्यबल, किसी भी राष्ट्र और एआई सम्बंधित उद्योगों के विकास की नींव है। एआई संचालित अर्थव्यवस्था को वास्तविक दुनिया में लागू करने के लिए एआई सामाजिक और तकनीकी कौशल के साथ बड़ी संख्या में गैर-तकनीकी दर्शकों को सशक्त बनाने के तरीकों सहित देश की शिक्षा प्रणाली हेतु एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीति 'एआई फॉर ऑल' के सिद्धांत पर बनी है। यह दृष्टिकोण समावेशी विकास की दिशा में असाधारण प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए जनसंख्या-पैमाने पर एआई समाधान विकसित करने और समावेशी प्रौद्योगिकियों में विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में भारत की अनूठी स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त एआई के महत्व को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु प्रासंगिक कौशल और टूलसेट तक पहुंच प्रदान कर एआई संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया है।

एआई कौशल के साथ अगली पीढ़ी को सक्षम और सशक्त बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ, सीबीएसई ने एआई को 2019 में आठवीं कक्षा से एक विषय के रूप में प्रस्तावित किया और इसके बाद इसे कक्षा VI - XII में भी लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को एआई से परिचित करना, उन्हें एआई हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल और सोच से लैस करना और जिसकी उपलब्धिस्वरुप सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान बनाने में सक्षम बनाना है।

राष्ट्रीय एआई तत्परता को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया कार्यक्रम - ***एआई फॉर ऑल*** भारत के माननीय प्रधानमंत्री, *श्री नरेंद्र मोदी जी* द्वारा 29 जुलाई, 2021 को प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इंटेल इंडिया के सहयोग से शिक्षा और एआई के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

'***एआई फॉर ऑल***' एक **4**-घंटे का, स्व-गतिशील, सूक्ष्म अधिगम कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जनसाधारण को एआई से परिचित कराने में सहायता करना है। कार्यक्रम को दो खंडों में विभाजित किया गया है: एआई अवेयर और एआई एप्रिसिएट। दोनों खंडों को लगभग चार घंटे में पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक खंड में एक छोटी और आसान प्रश्नोत्तरी के साथ चित्र और संवादात्मक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। इस क्विज को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने से प्रतिभागी को एक डिजिटल बैच और एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं और #***एआई फॉर ऑल*** को टैग कर सकते हैं। प्रतिभागी इस

क्विज में एक से अधिक बार सम्मिलित हो सकते हैं।

कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं:

1. सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट (लिंक: https://cbseacademic.nic.in/aiforall.html) के माध्यम से जहां यह 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। (विवरण के लिए, कृपया अनुलग्नक-**I** देखें)।
2. पाठ्यक्रमों को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में दीक्षा सीबीएसई प्लेटफॉर्म (लिंक:http://bit.ly/cbse-diksha) के माध्यम से भी देखा जा सकता है। (विवरण और लिंक के लिए, कृपया अनुलग्नक-**II** देखें)

सभी संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस पहल को सभी हितधारकों (छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों) और समीपत्व नागरिकों के मध्य भी बढ़ावा दें।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु, आप हमें support@ai-for-all.in पर लिख सकते हैं या किसी भी जानकारी या किसी तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर +91-9964600800 (सुबह 9 से रात 8 बजे; सोमवार से शुक्रवार) पर कॉल कर सकते हैं।

बिस्वजित साहा

(डॉ. बिस्वजीत साहा)
निदेशक (कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)

संलग्न: अनुलग्नक-I: ***एआई फॉर ऑल*** हेतु सूचना नियमावली
अनुलग्नक-II: दीक्षा सीबीएसई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों तक पहुंचने के लिए विवरण

नीचे उल्लिखित सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति।

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110 054
4. लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
8. निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
9. सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
10. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए पी एस के पास), दिल्ली कैंट -110010

11. *सुश्री श्वेता खुराना,* निदेशक सरकारी कार्यक्रम और भागीदारी, इंटेल, भारत
12. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव को अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ
13. बोर्ड के सभी प्रमुख
14. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को अनुपालना हेतु भेजने के अनुरोध के साथ।
15. प्रमुख (मीडिया और जन संपर्क), सीबीएसई
16. सहायक सचिव (आईटी), सीबीएसई, राउज एवेन्यू को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ
17. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ, सीबीएसई मुख्यालय को परिपत्र के हिंदी अनुवाद के लिए

निदेशक (कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)

नोट : हिंदी परिपत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी परिपत्र को अंतिम माना जाए।